

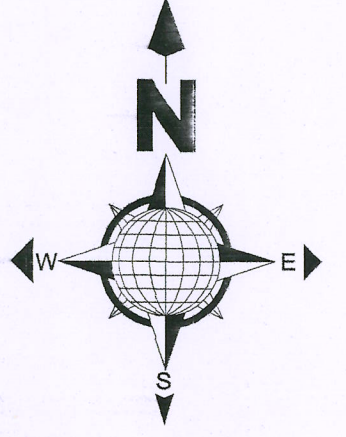
Layout Plan of SHREE BALAJI ENCLAVE

At Village Sirsi, Tehsil- Jaipur, Jaipur.

Khasra No. 899/458 ,902/458

Scale:-1cm = 10 Mtr.

1197
B
01-12-22



381

ZDP Road 30.00 Mtr. Wide

380/791

ZDP Road 30.00 Mtr. Wide

898/458

899/458

901/458

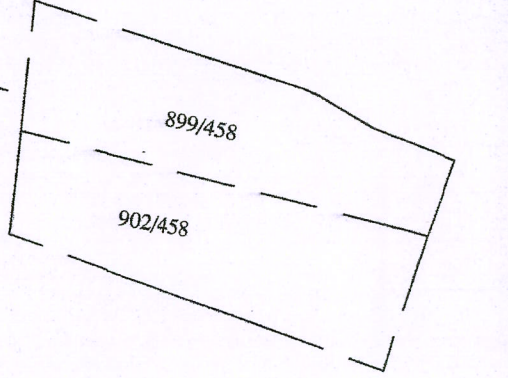
902/458

900/458

903/458

458/4

KHASRA PLAN OF PROPOSED SCHEME:-



SCALE :- 1CM = 05 MTR



योजना क्षेत्र का मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार भू उपयोग
प्रस्तावित अवसरीय योजना के भूखण्डों की गणना :-
अवसरीय भूखण्ड:- 09
सुरक्षा व्यवस्थापक भूखण्ड:- 14

क्र.सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल(व.मी.में)	प्रतिशत
1.	अवसरीय	5782.82	53.78%
2.	सुरक्षा व्यवस्थापक	130.06	01.21%
(A) कुल क्षेत्रफल (1 TO 2)		5912.88	55.00%
3.	हॉल उद्यान	537.92	5.00%
4.	हॉल क्वार्टर प्रबंधन	50.00	00.47%
5.	मोबाइल टॉवर	10.00	00.09%
6.	वन सुविधा क्षेत्र	10.00	00.09%
7.	सड़क	3229.34	30.04%
8.	वेदीय सेक्टर रोड	999.86	09.30%
(B) कुल क्षेत्रफल (3 TO 8)		4837.12	45.00 %
योजना क्षेत्रफल (A+B)		10750.00	100.00%
प्रस्तावित योजना की आवेदित भूमि का कुल क्षेत्रफल		10750.00 वर्.मी.	

NAME OF SCHEME :-

ZONE = 00 ZDP NO= 00

NAME OF DEVELOPER :-

SUBMITTED TO :- JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

DESIGN BY:- Lakshya Associates

LAND SURVEY, PLANNING, DEMARCATION
TOWNSHIP DEVELOPMENT
ENGINEERING AND ARCHITECT CONSULTANT
E-7520, NAGRI PARK, Opp. Jyoti Nagar Police Station
1st Floor, NAGRI, Jaipur-302019 (India)
Tel: 0141-4051472, 8094868119, 8330759889
Email: lakshya.associates@gmail.com, lakshyaassociates@gmail.com

REVISIONS

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है।

अमीन
जोन-12
बीरनारायण
सि. अमीन, जोन-12
जयपुर

नोट

- कार्नेर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
- आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 22.08.2022 को हो चुकी है।
- योजना की भूमि में रा.भू.रा.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 1, 11, 12, 13, 14, 61, 62, 63 व 64 कुल भूखण्ड 09 कुल क्षेत्रफल 775.29 वर्गमीटर है, जो जयपुर में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
- योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 325 वीं बैठक दिनांक 12.10.2022 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
- योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत मिक्सलेण्ड यूज एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत यू-1 (आवासीय) है।
- योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- बीपीसी (एल.पी.) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सैटबैक्स जयपुरा (जयपुर रोजन भवन) विनियम-2020 के अनुसार रखा गया है।

For Rajasthan Digital Tiles Pvt. Ltd.
Director

उप नगर नियोजक
जोन-12

तहसीलदार
जोन-12

उपायुक्त
जोन-12

उप बस्ति नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)